डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-382/2001/वा.क./पांच (57).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	अवधि (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है (4)
1.	खाद्यात्र	1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक.	जबकि— (1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्त्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना/काम के बदले अनाज योजना के तहत वितरण हेतु संलग्न प्रारूप में घोषणा के विरुद्ध विक्रय किया जाय.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) किसी उचित मूल्य दुकानदार (फेयर प्राइस शॉप कीपर) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाए तथा कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित किया जाय कि विक्रय किया गया माल उसी आशय के लिये क्रय किया गया था.
2.	खाद्यान्न	1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक.	जबकि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया जाकर विक्रय किया जाए तथा कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित किया जाय कि विक्रय किया गया माल उसी आशय के लिए क्रय किया गया था.

घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . .दिनांक . . . . .के अधीन)

मैं . . . .(क्रेता का नाम, पता) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक (यदि कोई हो) . . . . .का धारक*/उचित मूल्य दुकानदार, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने माल, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक (यदि कोई हो) . . . . के धारक . . . . . . (विक्रेता का नाम तथा पता) से क्रय किया है.

2. मैं यह और घोषणा करता हूं कि—

(एक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली*/अन्त्योदय अन्न योजना*/अन्नपूर्णा योजना*/काम के बदले अनाज योजना* के तहत विक्रय/वितरण के लिए माल का क्रय किया गया है, तथा

(दो) उपरोक्त माल के क्रय के दिनांक को मेरा पंजीयन प्रमाण-पत्र (यदि कोई है) प्रभावशील था.

क्रय किये गये माल की विशिष्टियां

*क्रय आदेश/बिल/इनवाइज/कैश मेमो/चालान की विशिष्टियां		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपयों में)
क्रमांक	दिनांक			
(1)		(2)	(3)	(4)
		कुल योग		

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये . . . .(शब्दों में) रुपये . . . . .केवल.

स्थान : . . . . हस्ताक्षर . . . .

दिनांक : . . . . पदनाम . . . .

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-10-382/2001/वा.क./पांच (57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-382/2001/वा.क./पांच (57), दिनांक 17-10-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th October 2001

NOTIFICATION

No. F-10-382/2001/CT/V (57).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam, for the period specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Period (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Cereals	From 1st April 2001 to 31st March 2002.	When sold— (1) by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 for distribution under public Distribution System/Antyodaya Anna Yojana/Annapurna Yojana/Food for work scheme against a declaration in the appended form. (2) by fair price shop keeper to a consumer under the public distribution system and it is proved to the satisfaction of the assessing authority at the time of assessment that the goods sold had been purchased for that purpose.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Cereals	From 1st April 2001 to 31st March 2002.	When the goods specified in column (2), obtained under Price Support Scheme are sold and it is proved to the satisfaction of the assesssing authority at the time of assessment that the goods sold had been purchase for that purpose.

DECLRATION

(Under C.T.D. Notification No. ....Dated............................)

I...(Name and address of the purchaser) holding registration certificate number (if any)..................................under Chhattisgarh Vanijiyik Kar Adhiniyam, 1994/* a fair price shop keeper, hereby declare that I have purchased goods particualrs of which have been given below from..(Name and address of the seller) holding registration certificate number (if any)..............................under the Chhattisgarh Vanijiyik Kar Adhiniyam 1994.

2. I further declre that,—

(i) the goods have been purchased by me for resale*/ distribution under the Public distribution System*/Antyodaya Anna Yojana/* Annapurna Yojana*/ Food For work scheme* and

(ii0 my registration certificate (ifany) was in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

Particulars of goods purchased

*Particulars of purhcase order/bill/invoice/ cash memo/Challan No. Dt. (1)	Description of goods purchased (2)	Quantity (3)	Value (in Rs.) (4)
	Total		

Total value (in figures) Rs. ....(in words) Rs. ....

Place : ....   Signature.......................................

Date :....................................   Status ....

*Strike out whichever is not applicable

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.